नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरत्न कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

ककरी परियोजना / Kakri Project

CIN- U10102MP1985GOI003160
An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company
पोस्ट- ककरी, जिला- सोनभद्र, उ.प्र., पिन 231224/ Post- Kakri, Distt- Sonbhadra, U.P. PIN-231224
Phone: 05446- 278094, (FAX) 05446-278375 email: gmkak.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रांकः ककरी / महाप्रबंधक / वन / 2019 / 53 दिनाँकः 10 / 06 / 2019

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,
सोनभद्र।

विषयः रेनूकूट वन प्रभाग अंतर्गत नॉर्दन कोल फील्ड्स लि. की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु हस्तांतरित 185.84 हे. वन भूमि लीज पर वनधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत एफ़०आर०ए० अनापत्ति/अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ : आपके द्वारा ऑनलाइन अतिरिक्त जानकारी तथा मुख्य वन संरक्षक, मिर्ज़ापुर क्षेत्र का पत्रांक 5386 दिनांक 07.06.2019

महोदय,

महाशय को उपयुर्क्त विषय तथा संदर्भ में अवगत कराना है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र द्वारा ककरी परियोजना को अनापत्ति/अनुपालन प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है जिसकी मूल प्रति उचित कार्यवाही हेतु महाशय को अग्रेषित की जा रही है।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

10/06/19

महाप्रबंधक
ककरी परियोजना

Annexure-II

FORM-II
(For projects other than linear projects)
Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector Sonebhadra

No.....101/ Dated..30-05-2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that185.84 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Kakri Project (Northern Coal Fields Limited)(Name of user Agency) for Mining (purpose for diversion of forest land) in Sonebhadra district falls within jurisdiction of Kakri village(s) in Dudhi tehsil.

It is further certified that :

a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire185.84.hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1, 2, 3.
b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest- dwellers, who eligible under the FRA.
c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of village(s) is enclosed as annexure 1.
d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

30/05/19
Signature
(Ankit Kumar Agarwal)
District Collector, Sonbhadra

Annexure III

जिला स्तरीय समिति की कार्यवृत्ति

आज दिनांक 15-04-2019 को वन अधिकार अधि0 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गयी है। उक्त बैठक में जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अनपरा रेंज अन्तर्गत ग्राम ककरी, के बासी वन ब्लाक के कम्पार्टमेन्ट संख्या 03 एवं 04 के रकबा के **185.84** हेक्टेअर वन भूमि जो कि वर्ष 1989 में वन विभाग द्वारा मेसर्स ककरी परियोजना (नार्दन कोलफील्डस् लिमिटेड) सोनभद्र के खनन कार्य हेतु लीज पर हस्तान्तरित की गयी है, के सम्बन्ध में पट्टे के नवीनीकरण हेतु वन अधिकार अधिनियम **2006** के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा दिये गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्पराग वन निवासियों का कब्जा नही है, तथा उनके अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव लम्बित नही है और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

अतः अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुर्नविचार की आवश्यकता नही है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि मेसर्स ककरी परियोजना (नार्दन कोलफील्डस् लिमिटेड) सोनभद्र को खनन कार्य हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हेक्टेयर वन भूमि के पट्टे के नवीनीकरण के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की जाती है।

नाम / हस्ताक्षर

(क) अध्यक्ष— जिलाधिकारी सोनभद्र ....

अंकित कुमार अग्रवाल
जिलाधिकारी
सोनभद्र

(ख) सदस्य प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, सोनभद्र.. 14/5/19

(ग) सचिव / सदस्य जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनभद्र..

काजल देवी चौधरी

1. जिला पंचायत सदस्य ....

2. जिला पंचायत सदस्य ....

3. जिला पंचायत सदस्य ....

ककरी परियोजना के लिए वन भूमि लीज नवीनीकरण हेतु अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार के दावों का निराकरण करने हेतु ग्राम वनाधिकार समिति, ककरी की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उपखण्ड समिति द्वारा विचारार्थ आहूत बैठक दिनांकः15.12.2018 का कार्यवृत्तः–

बैठक में निम्नाकित अधिकारीगण उपस्थित रहें:–

1.उप वन क्षेत्राधिकारी, अनपरा,सोनभद्र।

2.ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0) म्योरपुर,सोनभद्र।

3.वन दरोगा दुद्धी,सोनभद्र।

महाप्रबन्धक एन0 सी0एल0 ककरी परियोजना के पत्र संख्याःम0प्र0 / ककरी / वन / 2018 / 306 दिनांकः 03.10.2018 व पत्र सख्याःम0प्र0 / ककरी / वन / 2018 / 306 दिनांकः03.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा ककरी परियोजना के लिए कुल 18̸84हे0 वन भूमि लीज नवीनीकरण के संदर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पत्र उल्लिखित किया गया है कि कि ककरी परियोजना की उक्त भूमि "कोल वियरिंग एक्ट" के तहत एस.ओ. 3303 दिनांकः17.11.1981 के अनुसार अधिग्रहित की गयी थी। जिसमें 185.84हे0वन भूमि शामिल थी। पत्रांक 8–350 / 87 / एफ0सी0 दिनांकः30.05.1989 के अनुसार 30 वर्षो हेतु लीज निर्गत किया गया था जिसकी अवधि दिनांकः30.05.2019 को समाप्त हो रही है। शासन द्वारा दिनांकः16.05.2018 को स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्बन्धित दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया गया है जिसके अनुक्रम में दस्तावेजों की प्रति वन विभाग रेनुकूट व जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गयी है। आनलान आवेदन के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत से सम्पर्क स्थापिक कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी जिसके क्रम में ग्राम पंचायत वनाधिकार समिति द्वारा दिनांक 16.09.2018 को बैठक करते हुए वन भूमि के 185.84हे0 को एन0सी0एल0,ककरी परियोजना को लीज पर दिये जाने की संस्तुति की गयी है।

महाप्रबन्धक,एन0सी0एल0,ककरी परियोजना के उपरोक्त पत्र के क्रम में अनापत्ति प्रामाण पत्र निर्गत किये जाने के दृष्टिगत सम्बन्धित तहसीलदार दुद्धी संलग्न रिपोर्ट दिनांकः 05.12.2018 के साथ ग्राम पंचायत ककरी की बैठक दिनांकः0909.208 व 16.09.2018 की कार्यवाही तथा ग्राम पचायत समिति की रिपोर्ट 05.12.2018 प्राप्त हुयी है। ग्राम पंचायत समिति ककरी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत समिति ककरी द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में ग्राम सभा की दिनांकः16.09.2018 को सम्पन्न हुयी बैठक में उक्त भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित अनु0जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासियों द्वारा कोई दावा नहीं प्रस्तुत किया गया और न तो कोई दावा लम्बित है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए 185.84हे0 वन भूमि एन0सी0एल0 ककरी परियोजना को दिये जाने की संस्तुति की गयी है।

तत्क्रम में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद व खण्ड विकास अधिकारी म्योरपुर के साथ आज दिनांकः15.12.2018 को बैठक निर्धारित की गयी। जिसमें उक्त अधिकारीगण अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें। बैठक में ककरी परियोजना की उक्त भूमि "कोल वियरिंग एक्ट" के तहत एस.ओ. 3303 दिनांकः17.11.1981 के अनुसार अधिग्रहित की गयी थी जिसमें 185.84हे0वन भूमि शामिल थी। जो 30 वर्षो हेतु लीज निर्गत किया गया था जिसकी अवधि दिनांकः30.05.2019 को समाप्त हो रही है के दृष्टिगत ककरी परियोजना को 185.84 हे0 वन भूमि लीज नवीनीकरण हेतु किसी प्रकार का दावा न प्राप्त होने एवं कोई दावा लम्बित न होने के कारण अनापत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

A.D.O(I.S.B) म्योरपुर

उप जिलाधिकारी,
दुद्धी–सोनभद्र।

कार्यालय उपखण्ड / उप जिलाधिकारी दुद्धी सोनभद्र।

पत्रांकः 07 / आ0लि0–वना0–बैठक / 2018 दिनांकः 03/1–2019

प्रतिलिपिः–समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
दुद्धी–सोनभद्र।

बैठक दिनांक 15-12-18 समय 12.00 बजे

Kanishk
PAGE No
DATE : / /201

कनहर परियोजना की कुल-185-84 हे० वन भूमि के निर्वनीकरण हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

बैठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी

क्रम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1	कमल कुमार मिश्र	कन०(सि०)	9838674715	[illegible]
2	शैलेन्द्र सिंह	A.D.O (I.S.B	7376897220	[signature]
3	हरिकेन्द्र प्रताप सिंह	उ० व० क्षे० अनपरा	9198246052	[signature]

बैठक दिनांक 18-12-18

स्थगित

क्रम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल	हस्ताक्षर
1	राजाराम यादव, सहा०प्रबंधक(सी०)		9450555130 9425820923	Rajr
2	सत्य प्रकाश	ब्लाक कार्यक्रम (मनरेगा)	9450671678	[signature] 18/12/18

कार्यालय उप जिलाधिकारी, दुद्धी–सोनभद्र।

पत्रांकः 746/ आ0लि0–वना0अधि0–स0गठन / 2018, दिनांकः 06 ,दिसम्बर, 2018,

विषय :– ककरी परियोजना की कुल 185.84 हेक्टेयर वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु वनाधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

:——:

1–प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट–सोनभद्र।.
2–जिला पंचायत राज अधिकारी,
जनपद–सोनभद्र।
3–खण्ड विकास अधिकारी,
म्योरपुर–सोनभद्र।

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, एन0सील0एल0, ककरी परियोजना के पत्र कमांक ककरी / महाप्रबन्धक / 2018–19 / 495, दिनांक 03.09.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि ककरी परियोजना की विषयांकित भूमि "कोल वियरिंग एक्ट" के तहत एस0ओ0 3303 दिनांक 17.11.1981 के अनुसार अधिग्रहीत की गयी थी जिसमें 185.84 हे0 वन भूमि शामिल थी। पत्रांक 8–350 / 87 / एफ0सी0 दिनांक 30.05.1989 के अनुसार 30 वर्षों हेतु लीज निर्गत किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 30.05.2019 को समाप्त हो रही है। शासन द्वारा दिनांक 16.05.2018 को स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्बन्धित दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया गया है जिसके अनुक्रम में दस्तावेजों की प्रति वन विभाग(रेनूकूट) व जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गयी है। ऑनलाइन आवेदन के कम में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी जिसके कम में ग्राम पंचायत वनाधिकार समिति द्वारा दिनांक 16.09.2018 को बैठक करते हुए वन भूमि के 185.84हे0 को एन0सी0एल0, ककरी परियोजना को लीज पर दिये जाने की संस्तुति की गयी है।

महाप्रबन्धक, एन0सील0एल0, ककरी परियोजना के उपरोक्त पत्र के कम में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अति शीघ्र उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति की एक आवश्यक बैठक आहूत किया जाना अपेक्षित है जिससे प्रकरण में यथापेक्षित निर्णय लेते हुए अनापत्ति निर्गमन हेतु आख्या जिला स्तरीय वन समिति को प्रेषित की जा सके।

...........2 /

अतः इस सम्बन्ध में बैठक हेतु दिनांक 15.12.2018 को समय 11.30 बजे प्रातः एक आवश्यक बैठक आहूत की जाती है। कृपया सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक अभिलेखों/अभिकथनों के साथ आहूत बैठक में ससमय उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

6/12/18

उप जिलाधिकारी,
दुद्धी–सोनभद्र।

पृ0प0सं0:   /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

6/12/18

उप जिलाधिकारी,
दुद्धी–सोनभद्र।

महोदय,

दाए पृष्ठ पर पृष्ठांकित पत्रांक एवं प्रस्ताव पत्रावली के अनुसार नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड (मिनिरत्न कम्पनी) कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी के महाप्रबन्धक कार्यालय पत्रांक – ककरी / महाप्रबन्धक / 2018–19 –495 दिनांक 03-07-2018 द्वारा ककरी परियोजना (NCL) की कुल भूमि 185-8400 हे० वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत अनापत्ती प्रमाण पत्र हेतु मॉंग की है।

संदर्भित विषय के सम्बन्ध मे ककरी परियोजना की उक्त भूमि कोल बियरिंग एक्ट के तहत एस० ओ० 3303 दिनांक 17-11-1981 के अनुसार अधिगृहीत की गयी थी। जिसमे कुल भूमि 185-84 हे० वनभूमि शामिल थी जिसके लिए पत्रांक 8-350/87 एफ० सी० दिनांक 30-5-1989 के अनुसार 30 वर्षों हेतु भूमि लीज निर्गत की गयी थी। जिसकी अवधि दिनांक 30-5-2019 को समाप्त हो रही है लीज के नवीनीकरण हेतु आनलाइन आवेदन किया गया था। जिसे शासन द्वारा दि० 16-05-2018 को स्वीकृत किया गया था। तदानुसार जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र को संदर्भित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु पत्रांक म० प्र० / ककरी / वन / 2017 / 1314 दि० 14/15-12-2017 द्वारा निवेदित किया गया था कृपया अवलोकन पश्चात सहमति की दशा मे अनुमति हेतु हस्ताक्षर चाहें। पत्रावली प्रस्ताव ग्रामपंचायत ककरी की बैठक दि० 09-07-2018 व दि० 16-07-2018 कार्यवाही की नकल संलग्नक है।

ह० लेखपाल   रा० नि०   र० का० 05/12/18   ना० तहसीलदार दुद्धी   तहसीलदार दुद्धी   [illegible] (दुद्धी)

EOF

5/12/18
SDM (D)

ग्राम वनाधिकार समिति एवं ग्राम वनाधिकार सभा
ग्राम – ककरी

क्र० ...7.2.9.1.2018 दिनांक:...17.109.118

प्रति,
उपखण्ड जिलाधिकारी
दुद्धी, सोनभद्र

विषय: ककरी परियोजना के लिए वन भूमि लीज नवीनीकरण हेतु अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार के दावों का निराकरण करने हेतु ग्राम वनाधिकार समिति, ककरी की कार्यवाही के सम्बंध में ।

महोदय,

विषयांकित ककरी परियोजना के लिए आवश्यक वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेन्ज के अन्तर्गत ग्राम ककरी में आती है, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ग्राम ककरी क्षेत्र में वन अधिकार के कियान्वयन हेतु ग्राम वन अधिकार समिति का गठन दिनांक 25.01.2018 को पंचायत भवन ग्राम ककरी में किया गया।

व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों को प्राप्त करने के लिए पंचायत भवन ग्राम ककरी में पहली बैठक 09.09.2018 को प्रातः 11:00 बजे आहूत की गयी, जिसकी सूचना 05.09.2018 को "अमर ऊजाला" एवं "आज" समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गयी थी। इस बैठक को ग्राम प्रधान ककरी की अध्यक्षता में पंचायत भवन में आहूत किया गया जिसमें ग्राम निवासियों को वन भूमि पर दावों के बारे में जानकारी दी गयी तथा एक सप्ताह में दावे प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। दावे प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया।

दिनांक 16.09.2018 तक ग्राम वनाधिकार समिति को अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत ककरी परियोजना के लीज नवीनीकरण हेतु वन भूमि के लिए कोई व्यक्तिगत एवं सामुदाकि मान्य दावे नहीं प्राप्त हुए।

अतः ग्राम वनाधिकर समिति, ग्राम ककरी को ककरी परियोजना द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का उत्खनन हेतु लीज नवीनीकरण से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तथा वह इस प्रस्ताव की अनुसंशा करती है।

अग्रिम कार्यावाही हेतु सादर प्रेषित है।

ग्राम पंचायत ककरी
ग्राम प्रधान
पार्वती देवी
विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र

अध्यक्ष
ग्राम वनाधिकार समिति

प्रतिलिपि:

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनभद्र
2. प्रभागीय वन अधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, सोनभद्र
3. महाप्रबंधक, ककरी परियोजना

महोदय,

ग्राम ककरी पर० सिंगरौली तहसील - दुध्दी जिला - सोनभद्र के ग्राम सभा की खुली बैठक दिनांक 16-9-2018 को ग्राम पंचायत ककरी के सभागार में की गई जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा ककरी के कुल 23 गाटे रकबा 185-84 हे० सूची संलग्न है को NCL ककरी परियोजना को लीज पर दे दिया जाये क्योंकि लीज की अवधि समाप्त हो गई है। पूर्व में 1989 में लीज ककरी परियोजना को दी गई थी उपरोक्त गाटों से सम्बन्धित अनु० जन जाति/ अन्य परम्परागत वन निवासियों द्वारा कोई दावा नहीं प्रस्तुत किया गया न तो कोई दावा लम्बित है

अत: दिनांक 16-9-2018 के ग्राम सभा के बैठक के अनुसार वन भूमि के 185-84 हे० को NCL ककरी परियोजना को लीज पर दिये जाने हेतु रिपोर्ट सेवा में प्रेषित

हीरालाल
क्षे० पाल

ग्राम पंचायत ककरी
ग्राम प्रधान
पार्वती देवी
पार्वती देवी
विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र

अग्रसारित
R1(Bh)
रा०नि०

Attested
[signature] 11/01/19

महा प्रबन्धक
ककरी परियोजना
एन० सी० एल०

रुप पत्र - 8 (नियम 36 व 53)

दिनांक	उपस्थित पंचों सदस्यों के नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही जो किया है	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंगूठा चिन्ह
1	2	3	4	5
	वन अधिकार समिति		ग्राम-पंचायत ककरी में स्थित	
	के सदस्य गण		स्थित 185.84 हे० वन भूमि के	
			लीज नवीनी करण बाबत दिनांक	
	(1) राम किशोर		16/09/18 को प्रातः 11.00 बजे	रामकिशोर
			ग्राम सभा के पंचायत भवन में	
	(2) भगवत सिंह		सभा का आयोजन।	
	(3) सरोज कुमार		आज दिनांक 16/09/18 को ग्राम	सरोज कुमार
			पंचायत ककरी के सभागार में	
	(4) नागलाल		खुली बैठक वनाधिकार समिति	नागलाल
			ग्राम-पंचायत सदस्यों एवम अन्य	
	(5) रजेश		गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति	रजेश
			ग्राम-प्रधान श्रीमती पार्वती देवी	
	(6) भगवान सिंह		की अध्यक्षता में रखा गया।	
			उक्त सभा में ग्राम-सभा ककरी	
	(7) रमेश पनिका		के पंचायत भवन में उपस्थित सभा	रमेश पनिका
			पदाधिकारी एवम गणमान्य व्यक्तियों	
	(8) प्रदीप जायसवाल		के बीच यह चर्चा किया गया कि	प्रदीप जायसवाल
			सन 1989 में उत्तर-प्रदेश वन	
	(9) फूलेश कुमार		विभाग द्वारा रा०व०नि०लि० ककरी	
			परियोजना को चलाने के लिए	
	(10) शान्ती देवी		वन भूमि लीज पर दिया गया था	
			उक्त लीज के नवीनी करण हेतु	
	(11) जीवन कुमार		खदान के विस्तार हेतु वन अधिकार	जीवन कुमार
			2006 के तहत अनुपालन प्रमाणपत्र	
	(12) सोनू कुमार		प्राप्त करने हेतु चर्चा किया गया	सोनू
			प्रधान सचिव 01/09/18 के तहत	
	(13) विजय कुमार		उक्त प्रस्ताव को समक्ष रखा गया था	विजय कुमार
			कि सभा परम्परागत वन में निवास	
	(14) फूलमती		करने वाले आदिवासी दावा प्रस्तुत करें	
			चूंकि उक्त भूमि पर पहले से	
	(15) ओम प्रकाश		ही खनन का कार्य चल रहा है	ओम प्रकाश
			अतः स्थान पर जंगल (वन) मौजूद	

नोट- प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और पंचायत सचिव अपने हस्ताक्षर करेंगे।

रुप पत्र - 8 (नियम 36 व 53)

दिनांक	उपस्थित पंचों सदस्यों के नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही जो किया है	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंगूठा चिन्ह
1	2	3	4	5
	उर्मिला		नहीं पाया गया। जिससे ग्राम	[अंगूठा निशान]
			पंचायत में निवास करने वाले	
	मनमती		अनु० जाति / अनु० जाति एवं	[अंगूठा निशान]
			परम्परागत वन भूमि में काबिज	
	मानकुवर		करने वालों के दावे को	[अंगूठा निशान]
			नहीं पाया गया। उक्त ग्राम	
	वेद प्रकाश		का कार्य शासनहित में किया	वेद प्रकाश
			जाता है क्योंकि अनुसूचित	
	मो० अफरोज		जनजाति / अनु० जाति एवं	मो अफरोज
			पंचायत के सदस्यों, ग्रामवासियों	
	विवेक कुमार		ग्रामवासियों ने यह प्रस्ताव	Vivek
			पारित किया कि उक्त भूमि	
	सतीश कुमार		पर कोई दावा नहीं है।	सतीश कुमार
			ग्राम-प्रधान की अध्यक्षता में	
	विनय कुमार		प्रस्ताव पास कर 185.04 है०	विनय कुमार
	रघु माझी		भूमि वन नवीन करा	रघु माझी
	श्री अनिल कुमार		करने की पुनः उत्तर प्रदेश	अनिल कुमार
	संजय कुमार		सरकार को देने की अपील	संजय कुमार
	[illegible]		करते हुए सर्वसम्मति से पास	ओमप्रकाश
	[illegible] देवी		किया गया तथा ग्रामीणों को	
	कल्पना देवी		उक्त भूमि पर कोई दावा नहीं	रीना देवी
	रेनु देवी		पाया गया। पुनः इसके	कल्पना
	फूल कुमारी देवी		से सभा को सम्बोधन करते	रेनु देवी
	गायत्री देवी		हुए ग्राम-प्रधान ने धन्यवाद	[illegible] देवी
	शीला देवी		का सभा को समाप्त किया।	शीला देवी
	सीमा देवी			सीमा देवी

ग्राम पंचायत ककरी
ग्राम प्रधान
पार्वती देवी
विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र

पार्वती देवी

ग्राम पंचायत ककरी
ग्राम प्रधान
पार्वती देवी
विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र

पार्वती देवी

नोट- प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और पंचायत सचिव अपने हस्ताक्षर करेंगे।

Minutes of Meeting

ग्राम:- ककरी मे स्थित 185.84 हे. वन भूमि के लीज नवीनीकरण के बावत

आज दिनांक:- 09.09.2018 को ग्राम पंचायत:- ककरी के सभागार मे एन.सी.एल ककरी परियोजना के लिये ग्राम- ककरी मे कुल 185.84 हेक्टेयर वन भूमि जो कि एन.सी.एल ककरी परियोजना को उत्तर प्रदेश। वन विभाग द्वारा 1989 मे लीज पर दी गई है के लीज नवीनीकरण हेतु एन.सी.एल ककरी परियोजना द्वारा वन अधिकार अधिनियम -2006 के तहत अनुपालन प्रमाण। पत्र (Compliance Certificate) प्राप्त करने हेतु ग्राम प्रधान के अध्यक्षता मे मिटिंग आहूत की गई परन्तु ग्राम वनाधिकारी समिति - ककरी के पूर्णतः अस्तित्व (गठित) मे होने के कारण।

ग्राम:- ककरी मे स्थित उपरोक्त वन भूमि के बावत अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासियो जिनके उक्त वन भूमि पर पूर्व मे अधिकार (व्यक्तिगत व सामुदायिक) निहित थे के द्वारा अपना दावा प्रस्तुत नही कर पाया गया है परन्तु उपरोक्त मिटिंग मे यह चर्चा हुआ कि सभी ग्रामीण जिनके दावे बनते है के द्वारा ग्राम स्तरीय वन समिति - ककरी के समक्ष एक सप्ताह के अन्दर जल्द ही दावा प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर आगे की आवश्यक कार्यवाही ग्राम स्तरीय वन समिति, ककरी करेगी। नियमानुसार

उपरोक्त मिटिंग के दरम्यान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ककरी, ग्राम पंचायत के सम्मानित सदस्य विवेक जायसवाल, प्रदीप जायसवाल के साथ - साथ ग्राम:- ककरी व रेहटा के गणमान्य नागरिक के साथ एन.सी.एल ककरी के सम्बधित अधिकारी उपस्थित रहे।

[Stamp] ग्राम पंचायत ककरी ... सचिव ग्राम पंचायत ... [illegible]

हस्ताक्षर
पार्वती देवी

[Stamp] ग्राम पंचायत ककरी, ग्राम प्रधान, पार्वती देवी, विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र

ग्राम ए प्रधान ककरी —

① रामविचार [illegible]	[signature]
② सुरवेन्द्र यादव	Sulchandy
③ जितेन्द्र यादव	J.K YADAV
④ अजय कुमार तिवारी	tiwari
⑤ अरविन्द कुमार	Arvind Kumar
⑥ अर्जुन सिंह गोंड	Arjun Singh
7 राम नरायन	राम नरायन
8 - श्यामबिहारी	श्यामबिहारी
9 - देवेन्द्र	यादव

(10) मो० अफसर हुसैन — अफसर

(11) भगवान दास — भगवानदास

(12) विवेक जायसवाल (सदस्य) — [signature]

(13) अंकुश कुमार दुबे — [signature]

(14) विजय शंकर विश्वकर्मा — [signature]

(15) हरिनाथ खरवार — हरिनाथ खरवार

16) जय शंकर — [signature]

(17) आर. के. पाण्डेय — [signature]

(18) अ० प्र० मिश्र — [signature]

(19) प्रवीण कुमार मिश्र उपप्रबंधक (कृ०) ककरी — [signature] 09/09/18

(20) वरुण सनवाल प्रबंधक प्रशिक्षण ककरी — [signature] 09/09/18

(21) गौतम चन्द्र मार्टिन — [signature]

(22) अरुण कुमार राय — [signature] 09/9/18

बाढ़ की समस्या का समाधान किया जाता है आगे कार्यवाही एक सप्ताह के अन्दर की जाती है जिसमें ग्राम-प्रधान / सदस्य / सामाजिक व्यक्ति / अध्या० / जन० [illegible] / परियोजना का निर्णय द्वारा किया जाता है।

ग्राम पंचायत ककरी
ग्राम प्रधान
पार्वती देवी
विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र

पार्वती देवी

सचिव
चौबे
[signature]
9-9-18

ग्राम पंचायत ककरी
ग्राम प्रधान
पार्वती देवी
विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र

पार्वती देवी

नाम	हस्ताक्षर
23 रजा कुमार	रजा कुमार
24 राम विलास	रामविलास
25 मो० अफसार [illegible]	अफसार
26 भगवान दास	भगवान दास
27 विजय शंकर विश्वकर्मा	[illegible]
28 जय शंकर	~~हरिनाथ केसरी~~ जयशंकर
29 [redacted] नाथ केसरी	हरिनाथ केसरी
30 पुष्पेन्द्र यादव	[illegible]
31 जितेन्द्र यादव	J.K. yadav
32 अजय कुमार तिवारी	Anjay Kumar
33 राम नरायन	राम नरायन
34 [redacted] सिंह गोंड	Arjun Singh.
35 श्याम बिहारी	श्यामबिहारी
36 देवेन्द्र	देवेन्द्र यादव
37 मो० रहमान	मो० रहमान
38 ओम प्रकाश	ओ० प्रकाश
39 राजेश कुमार	Rajesh
40 शिव प्रसाद	शिव प्रसाद
41 भगवान सिंह	भगवान सिंह गोंड
42 नन्द किशोर	नन्द किशोर

ग्राम पंचायत ककरी
ग्राम प्रधान
पार्वती देवी
विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र
पार्वती देवी

ग्राम पंचायत ककरी
ग्राम प्रधान
पार्वती देवी
विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र

क्रम	नाम	हस्ताक्षर
43	बिहारी पटेल	बिहारी पटेल
44	कार्तिक कुमार	कार्तिक कुमार
45	विजय कुमार	विजय
46	अरविन्द	अरविन्द
47	शिव शंकर	शिव शंकर
48	राधा देवी	[अंगूठा निशान]
49	मान मती	[अंगूठा निशान]
50	शकुन्तला	[अंगूठा निशान]
51	केवला	केवला
52	रानी देवी	रीना देवी
53	मोहरानी	[अंगूठा निशान]
54	हीरामती	[अंगूठा निशान]
55	लाल मिनिया	[अंगूठा निशान]
56	नरेन्द्र कुमार	नरेन्द्र कुमार
57	महेन्द्र	महेन्द्र
58	दीनानाथ	दीनानाथ
59	जोहार लाल	जोहार लाल

[मुहर: ग्राम पंचायत ककरी, ग्राम प्रधान पार्वती देवी, विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र] पार्वती देवी

[मुहर: ग्राम पंचायत ककरी, ग्राम प्रधान पार्वती देवी, विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र] पार्वती देवी

सत्यापित
ग्राम पंचायत

रुप पत्र - 8 (नियम 36 व 53)

दिनांक	उपस्थित पंचों सदस्यों के नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही जो किया है	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंगूठा चिन्ह
1	श्री पार्वती देवी (ग्राम प्रधान)		4	पार्वती देवी
	पंचायत सदस्य/ क्षे० प० सदस्य		आज दिनांक 09-09-18 को	
2	ग्रामीण नागरिक	सर्वसम्मति	वनाधिकार अधिनियम 2006	
(1)	अकबर हुसैन		के अन्तर्गत वनाधिकार समिति	अकबर
			के गठन की कार्यवाही :—	
(2)	विवेक कुमार			Vivek
			वनाधिकार अधिनियम	
(3)	सरोज कुमार	2	2006 के तहत अनु० जाति	सरोजकुमार
			जन जाति और अन्य	
(4)	किशन कुमार		परम्परागत निवासी जो वन	किशन कुमार
			(जंगल) के आधीन आते	
(5)	रघु भरद्वाज		हैं वनाधिकारों के मान्यता	रघु भरद्वाज
			अधिनियम 2006 के अन्तर्गत	
(6)	अरुण कुमार		आज दिनांक 09-09-18 को	Arunkumar
			ग्राम-पंचायत ... के	
(7)	संजय कुमार		पंचायत भवन में खुली	संजय
			बैठक का आयोजन	
(8)	शिव स्वरूप		किया गया। बैठक दिन 11 बजे	शिव स्वरूप
			बजे से प्रारम्भ किया गया	
(9)	श्रीमती रीना देवी		उक्त बैठक में श्री ग्राम-प्रधान	रीना देवी
			श्रीमती पार्वती देवी तथा	
(10)	" कल्पना देवी		ग्राम-पंचायत सचिव	कल्पना देवी
			श्री आलोक कुमार यादव की	
(11)	" रेनु देवी		की उपस्थिति में प्रारम्भ	रेनु देवी
(12)	" पुष्पा देवी		किया गया। बैठक की	[अंगूठा चिन्ह]
(13)	" गायत्री देवी		अध्यक्षता ग्राम-प्रधान	
(14)	" शिला देवी		श्रीमती - पार्वती देवी द्वारा	
(15)	" शीला देवी		किया गया। उक्त बैठक	शीला देवी
			में क्षे० पं० सदस्य, ग्राम-	
(16)	" अनारमती		पंचायत सदस्य एवं ग्रामीण	अनारमती
(17)	श्री छोटे लाल		आम जनता के उपस्थिति	[अंगूठा चिन्ह]
			में कार्यवाही प्रारम्भ की	
(18)	अजय कुमार सिंह		गई।	Ajay Kumar Singh
19	रामनरायण		सर्वप्रथम बैठक में वना	रामनरायन

नोट- प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और पंचायत सचिव अपने हस्ताक्षर करेंगे।

रुप पत्र - 8 (नियम 36 व 53)

दिनांक	उपस्थित पंचों सदस्यों के नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही जो किया है	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंगूठा चिन्ह
1	2	3	4	5
	मो० रईस खान		वनाधिकार के बारे में	मो० रईस खान
			बताया गया उक्त बैठक	
	ओंकार प्रसाद		में आदिवासी, वनवासी	ओंकार प्रसाद
			उप प्रमुख महा सभा के	
	शिव प्रसाद		सदस्यों में जन-जाति	शिव प्रसाद
			अनु० जाति एवम अन्य	
	नन्द किशोर		परम्परागत जाति तथा अन्य	नन्द किशोर
			वन आश्रित जातियों को	
	विजय कुमार [illegible]		(वन अधिकार मान्यता)	विजय कुमार
			अधिनियम 2006 की धारा	
	राजेश कुमार		06 के तहत अपने अधिकार	राजेश कुमार
			की मान्यता के लिए	
	[illegible]		वनाधिकार अधिनियम	[अंगूठा निशान]
			के अन्तर्गत उक्त समिति	
	अशोक कुमार		में दो तिहाई जन जाति	अशोक कुमार
			अनु० जाति के सदस्यों	
	गिरधर ठाकुर		को मान्यता दिया गया	गिरधर ठाकुर
			इसके उपरान्त वनाधिकार	
	राधा देवी		समिति का गठन प्रारम्भ	[अंगूठा निशान]
			किया गया। उक्त बैठक	
	हीरा माती		में किन्तु पदाधिकारियों	[अंगूठा निशान]
			के चयन हेतु निम्न सदस्यों	
	दीनानाथ		ने दावा प्रस्तुत किया जो	दीनानाथ
			निम्न है	
	[illegible] कुमार			[illegible]
	राम विशाल		(1) राम विशाल पुत्र स्व० कालिका प्रसाद	रामविशाल
	भागवत गोंड		(2) भागवत गोंड पुत्र धीरशाह	[अंगूठा निशान]
				राजेश कनौजिया
	राजेश कनौजिया		(3) राजेश कनौजिया पुत्र स्व० जागर नारायण	
	जितेन्द्र रजक		(4) जितेन्द्र रजक पुत्र स्व० बालचन्द्र	जितेन्द्र रजक

नोट- प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और पंचायत सचिव अपने हस्ताक्षर करेंगे।

रुप पत्र - 8 (नियम 36 व 53)

दिनांक	उपस्थित पंचों सदस्यों के नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही जो किया है	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंगूठा चिन्ह
1	2	3	4	5
	श्रवण कुमार		(5) श्रवण कुमार पुत्र जितेन्द्र रजक	श्रवण कुमार
	सरोज कुमार		(6) सरोज कुमार पुत्र स्व. ऊधाराम	सरोज कुमार
	जगलाल		(7) जगलाल पुत्र स्व० रामलाल	जगलाल
	भगवान सिंह		(8) भगवान सिंह गोंड पुत्र स्व० रतन गोंड	
	रमेश धनिक		(9) रमेश धनिक पुत्र त्रिलोकी धनिक	रमेश
	ओम प्रकाश		(10) ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मन धारी कनौजिया	ओम प्रकाश
	सोनु कुमार		(11) सोनु कुमार पुत्र विपुन	सोनू
	चतुरानन्द		(12) चतुरानन्द पुत्र श्यामजी	चतुरानन्द
	रमेश कुमार		(13) रमेश कुमार पुत्र केशव	रमेश कुमार
	रामचन्द		(14) रामचन्द पुत्र स्व० कन्हई	रामचन्द्र जी मालवाल
	फुलमती		(15) फुलमति पत्नि भानलाल	
	भानमती		(16) भानमति पत्नि भागवत	
	फुल कुवंर देवी		(17) फुल कुवंर देवी पत्नि ठाकुर प्रसाद	
	उर्मिला देवी		(18) उर्मिला देवी प० चन्द्रभान	
	शान्ती देवी		(19) शान्ति धनिक पत्नि त्रिवेणी	

नोट- प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और पंचायत सचिव अपने हस्ताक्षर करेंगे।

रुप पत्र - 8 (नियम 36 व 53)

दिनांक	उपस्थित पंचों सदस्यों के नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही जो किया है	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंगूठा चिन्ह
1	2	3	4	5
	ज्योति रंजक		(19) ज्योति रंजक पत्नि राजेश कुमार	ज्योति रंजक
	पार्वती देवी		(21) पार्वती देवी पत्नि राजेश	पार्वती देवी
	भानु कुवर		(22) भानु कुवर पत्नि रामकेश	[अंगूठा चिन्ह]
	[अंगूठा चिन्ह] सुखेन्दु पाण्डेय		(23) सुखेन्दु पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय	Sukhendu
	जितेन्द्र पाण्डेय		(24) जितेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व. सुरेश पाण्डेय	जितेन्द्र
	राजेश पाण्डेय		(25) राजेश पाण्डेय पुत्र स्व. आत्माराम	राजेश
	अर्चना भारती		(26) अर्चना भारती पुत्री अंजनी कुमार	अर्चना कुमारी
	विजय कुमार		(27) विजय कुमार पुत्र स्व. वासुदेव	विजय कुमार
	अजय कुमार		(28) अजय कुमार पुत्र रघुनाथ	अजय कुमार
	अतवरिया		(29) अतवरिया पत्नि स्व. दर्शन	
	प्रदीप कुमार		(30) प्रदीप कुमार पुत्र राम चन्द	प्रदीप
	विवेक		(31) विवेक कुमार पुत्र आत्मानारायण	Vivek
	वेद प्रकाश		(32) वेद प्रकाश पुत्र " "	वेद प्रकाश
	[अंगूठा चिन्ह]		उपरोक्त उपस्थित सदस्यों	
			में सभी ने क्रमांक-2 को दावा	
	[अंगूठा चिन्ह]		किया पुनः पंचायत के सदस्यों	
			एवं ग्रामीण जनता ने उपरोक्त	
	[अंगूठा चिन्ह]		सदस्यों में पदाधिकारियों एवं	
			सदस्यों का चयन किया	
			गया और निम्न निम्ने वर्णित	ग्राम पंचायत ककरी ग्राम प्रधान पार्वती देवी विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र (मुहर) पार्वती देवी
			जा रहा है।	
	[अंगूठा चिन्ह]			

नोट- प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और पंचायत सचिव अपने हस्ताक्षर करेंगे।

रुप पत्र - 8 (नियम 36 व 53)

दिनांक	उपस्थित पंचों सदस्यों के नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही जो किया है	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंगूठा चिन्ह
1	2	3	4	5
		1	अध्यक्ष – राम विश्वास पुत्र स्व० कार्तिक प्रसाद (सा०)	[illegible]
		2	उपाध्यक्ष – भागवत गोंड पुत्र स्व० छीट शाह (जन जाति)	
		3	जगलाल पुत्र स्व० रमिलावन (अ० जाति)	जगलाल
		~~4~~	~~सरोज कुमार पुत्र स्व० जयराम~~	
			सचिव –	
		(4)	सरोज कुमार पुत्र स्व० जयराम (अ० जाति)	सरोज कुमार
		(8)	सदस्य गण –	
		(1)	राजेश कन्नौजिया पुत्र स्व० जगत नारायण (अनु० जाति)	राजेश
		(2)	भगवान सिंह पुत्र स्व० ददन (जन जाति)	
		(3)	रमेश पनिका पुत्र तिलोकी पनिका (जन जाति)	रमेश पनिका
		(4)	प्रदीप कुमार पुत्र राम चन्द्र (पि० जाति)	प्रदीप कुमार
		(5)	फुलकुवर देवी पत्नि ठाकुर प्रसाद (जन जाति)	
		(6)	शान्ति देवी पत्नि सिपाही (जन जाति)	
		(7)	श्रवण कुमार पुत्र जितेन्द्र (अनु० जाति)	श्रवण कुमार
		(8)	सोनू कुमार पुत्र विशुन (अनु० जाति)	सोनू कुमार

नोट- प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और पंचायत सचिव अपने हस्ताक्षर करेंगे।

रूप पत्र - 8 (नियम 36 व 53)

Annexure 1

दिनांक	उपस्थित पंचों सदस्यों के नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही जो किया है	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंगूठा चिन्ह
1	2	3	4	5
		(9)	विजय कुमार पुत्र स्व० बाबूदेव (सा०)	विजय कुमार
		(10)	फूल मती पति भान बाबू (जन जाति)	
		(11)	ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मन धारी (अ०जा० जाति)	ओम प्रकाश
		(12)	श्री उर्मिला पति चन्द्रपाल (सा०)	
		(13)	ज्ञान मति पति भागवत गोंड (जन जाति)	
		(14)	मान कुवर पुत्र रामकेश (अ०जा० जाति)	
		(15)	अजय कुमार पुत्र रघुनाथ (सा०)	अजय कुमार
		16	वेद प्रकाश पुत्र श्यामा नाथ (विशेष) आमंत्रित विशेषज्ञ को	वेद प्रकाश
			वनाधिकार समिति के पदाधिकारी एवं सम्मानित सदस्यों को चयन सभी के द्वारा सर्व सम्मति से पास कर सभी को चयन किया गया तथा उपरोक्त सभी को समायोजक सभा ग्रामीण एवं पंचों के समक्ष समस्त पदाधिकारियों को चयन एवं सर्व सम्मति से पारित कर सभी को समायोजक किया गया।	

ग्राम पंचायत ककरी
ग्राम प्रधान
पार्वती देवी
विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र

ग्राम पंचायत ककरी
ग्राम प्रधान
पार्वती देवी
विकास खण्ड म्योरपुर, सोनभद्र